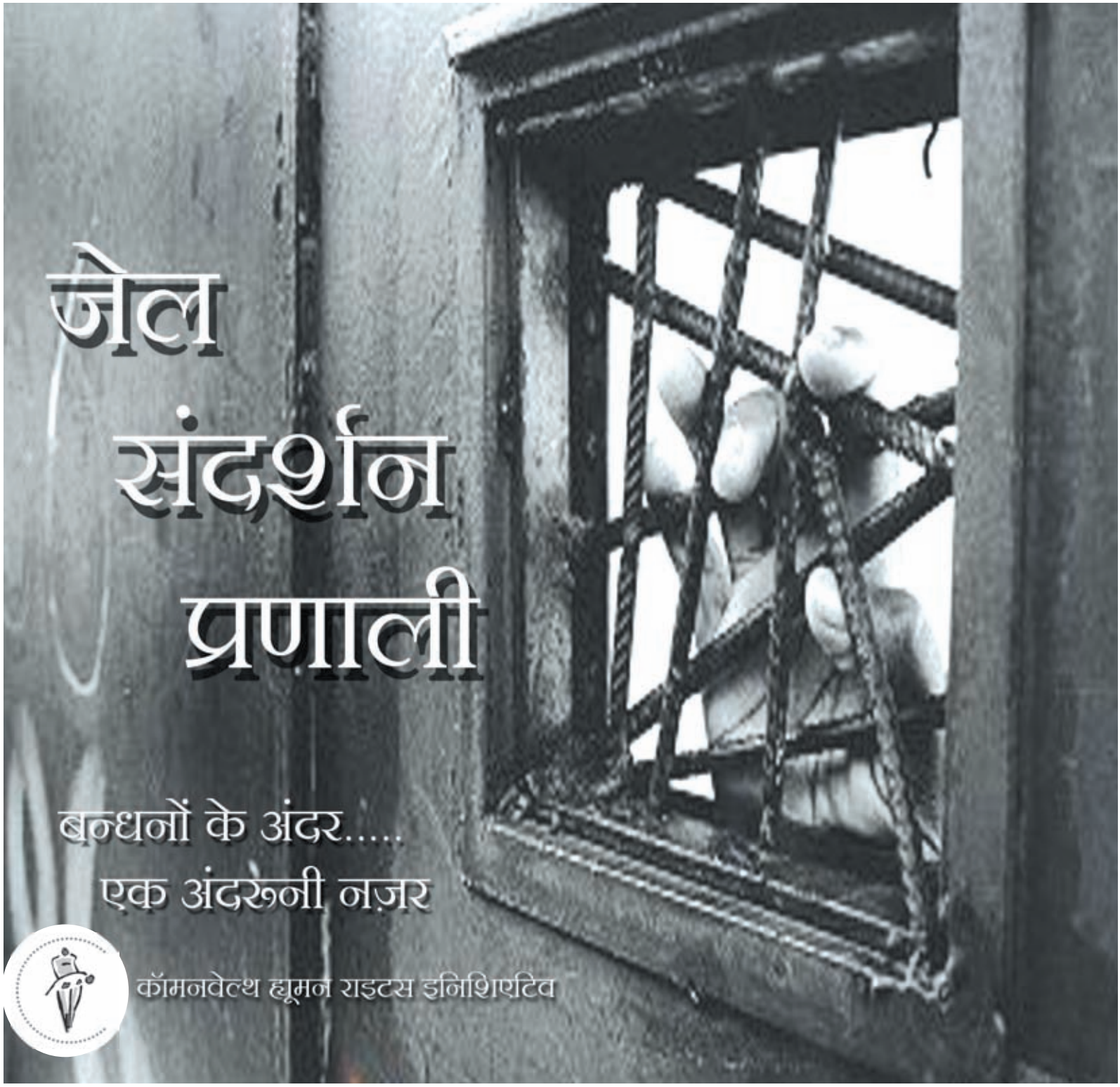

जेल संदर्शन प्रणाली

बन्धनों के अंदर..... एक अंदरूनी नज़र

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस इनिशिएटिव

जेल संदर्शन प्रणाली क्या है?

पैमाना चाहे जो भी हो, भारत में जेलें गुप्त और प्रायः उपेक्षित संस्थान हैं। कैदी आम तौर पर समाज के गरीब, अनपढ़ और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर वर्गों से आते हैं। जेलों के हालात भयावह होना एक सामान्य बात है। यद्यपि कुछ असामान्य घटनाओं जैसे जेल से भागे व्यक्तियों, जनसंहारों, दंगों, अथवा सहृदय व्यक्तियों द्वारा शुरु की गई कुछ सामुदायिक सेवाओं की जानकारी जनता को अवश्य मिलती है, किन्तु जेल की जिन बातों का आम लोगों को प्रायः पता नहीं चल पाता, वे हैं- स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली अमानवीय परिस्थितियाँ, अति भीड़-भाड़ वाले बैरक, सफाई और स्वच्छता का अभाव, पर्याप्त चिकित्सा सहायता की कमी, संक्रामक तथा अन्य रोगों की व्याप्ति, स्टॉफ तथा जेल में बंद अन्य अपराधी लोगों द्वारा सामान्य बन्दियों का शोषण तथा सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार।

समाज की नजरों से परे संचालित होने वाली इन जेलों की अपारगम्यता निश्चय ही गैर-जवाबदेही को जन्म देती है। परन्तु कई देशों में कानून, जेल संदर्शन प्रणाली के माध्यम से समाज को इन तालाबंद द्वारों को खोलने की चाबी प्रदान करता है। इन संस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जेल संदर्शन प्रणाली मानीटरिंग -तंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। जेल संदर्शन की यह प्रणाली अपराध-न्याय व्यवस्था में समाज की भागीदारी की भी प्रतीक है।

संदर्शक कौन हैं ?

संदर्शक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं- पदेन संदर्शक और अशासकीय संदर्शक। प्रथम श्रेणी में वे लोग शामिल होते हैं जो धारित पदों के कारण संदर्शक माने जाते हैं, जबकि अशासकीय संदर्शक जेलों में सरकार द्वारा अलग से नियुक्त किए जाते हैं।

पदेन संदर्शक (ओ.वी)

यद्यपि पद और पदनाम की स्थानीय विभिन्नताएं होती हैं किन्तु निम्नलिखित प्रकार के सरकारी अधिकारी जेलों के पदेन संदर्शक होते हैं:

- मंडल अथवा सम्भागीय आयुक्त
- पुलिस महा निरीक्षक
- स्वास्थ्य सेवा निदेशक
- ज़िला और सत्र-न्यायाधीश
- ज़िला दण्डाधिकारी
- उप महानिरीक्षक, पुलिस
- अपर ज़िला दण्डाधिकारी
- उप खण्ड दण्डाधिकारी
- सिविल सर्जन/चिकित्सा अधिकारी
- निदेशक, समाज कल्याण
- मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, आदि

इसके अतिरिक्त, विधान सभा के सभी सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जेलों के पदेन अशासकीय संदर्शकों के रूप में पदनामित किए जाते हैं।

अशासकीय संदर्शक (एन.ओ. वी)

समुदाय के कुछ लोगों को दो से तीन वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा अशास्कीय संदर्शक नियुक्त किया जाता है और वे पुनः नियुक्ति के लिए भी पात्र होते हैं।

- नियुक्ति नियम:
  - राज्य सरकार बिना कोई कारण बताए पद की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय किसी एन.ओ.वी. की नियुक्ति रद्द कर सकती है।
  - जो एन.ओ.वी. ६ मास या इससे अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने की स्थिती में हो उसे अपनी अनुपस्थिति की सूचना राज्य सरकार को देनी होती है ताकि आवश्यक होने पर कोई एवजी नियुक्त किया जा सके।

नियुक्त किए गए एन.ओ.वी. की संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हो सकती है (म.प्र. और राजस्थाय में यह संख्या निम्नलिखित है) :

- सेंट्रल जेल - ६
- डिस्ट्रिक्ट जेल - ३
- सब जेल - २
- महिलाओं को निरुध रखने वाली जेलें में २ महिला एन.ओ.वी होती हैं।

संदर्शक बोर्ड

संदर्शक बोर्ड दोनों प्रकार के संदर्शकों की सामूहिक अभिव्यक्ति है। बोर्ड के सदस्य आम तौर पर दो या तीन वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। बोर्ड का अध्यक्ष सामान्यत: ज़िला दण्डाधिकारी होता है।

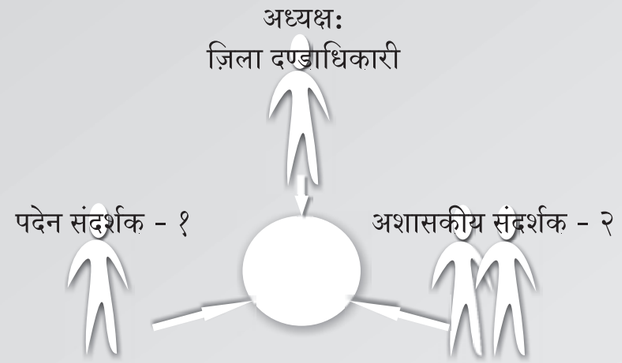

संदर्शक बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:

- सभी शासकीय तथा अशासकीय संदर्शकों के लिए दौरों का रोस्टर (कार्यक्रम) तैयार करना।
- सामूहिक रूप से जेल का दौरा करना और सभी भवनों का निरीक्षण करना, कैदियों के भोजन की गुणवत्ता की जाँच करना, दण्ड पंजिका आदि का निरीक्षण करना।
- कैदियों द्वारा की गई और दी गई शिकायतों को सुनना।

संदर्शक क्या कर सकते हैं?

संदर्शक:

- एक मास में कम से कम एक बार या अधिक बार जेल का दौरा कर सकते हैं और उस जेल विशेष से संबंधित समस्याओं का पता लगा सकते हैं,
- जेल का दौरा केवल जेल खुलने के बाद और तालाबंदी के समय से पहले कर सकते हैं,
- पके हुए भोजन की जाँच कर सकते हैं और जेल में बैरकों, वार्डों, कार्यशालाओं तथा अन्य भवनों का दौरा कर सकते हैं,
- यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सफाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा अनुशासन ठीक प्रकार से बनाए रखा गया है,
- इस बात का पता लगा सकते हैं कि क्या विचाराधीन किसी कैदी को गैर-कानूनी तरीके से लम्बी अवधि के लिए हवालात में रखा गया है। वे इस संबंध में ज़िला दण्डाधिकारी/सरकार को लिख सकते हैं,
- उन्हें कैदियों द्वारा दी गई याचिकाओं त था अभ्यावेदनों को सुनना चाहिए और उनकी शिकायतों तथा प्रतिवेदनों की सुनवाई और जाँच भी करनी चाहिए,
- जेल के रजिस्टरों और अभिलेखों की जाँच करनी चाहिए, सिवाय ऐसे अभिलेखों के जिन्हें गोपनीय माना गया हो तथा,
- उन्हें अपने हस्तलेख में अपने प्रेक्षण, अभ्युक्ति, शिकायतें, सुझाव, ज़िला दण्डाधिकारी या सरकार को भेजे गए मामले आदि संदर्शक पुस्तिका में दर्ज करने चाहिए। इसमें दौरे की तारीख और समय का उल्लेख भी किया जाना चाहिए,
- यदि कोई कैदी संदर्शक से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के उपचार के बारे में शिकायत करता है, और संदर्शक उसे जरूरी महसूस करता है, तो उसे ऐसी शिकायत अधीक्षक के पास भेजनी चाहिए क्योंकि वह जेल में होने वाली हर बात के लिए जिम्मेदार होता है। इस विषय पर संदर्शक सरकार को अभ्यावेदन देने के लिए भी स्वतंत्र है।

संदर्शक क्या नहीं कर सकते?

संदर्शक निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते:

- रविवारों तथा अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिनो में जेलों का दौरा करना,
- उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों, भूख हड़ताल कर रहे कैदियों, अनुशासनिक तथा चिकित्सा के आधार पर अथवा निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत अलग किए गए कैदियों के पास जाना अथवा अधीक्षक की अनुमति के बगैर राजद्रोह के तहत बंदी बनाए गए लोगों का साक्षात्कार लेना,
- अधीक्षक से पूर्वानुमति लिए बगैर किसी ऐसे विचाराधीन कैदी से वार्तालाप करना जो उसका/उसकी आश्रित या रिश्तेदार हो,
- किसी कनिष्ठ जेल अधिकारी को अनुदेश जारी करना,
- जेल प्रशासन से संबंधित विषयों पर प्रेस या किसी अन्य माध्यम से प्रचार करना,
- किसी प्रहरी के बगैर जेल में घूमना, किन्तु संदर्शक के अनुरोध पर अनुरक्षक कैदी से इतनी दूरी पर रह सकता है कि उसे कैदी दिखाई तो दे किन्तु उसकी आवाज सुनाई न दे और इस प्रकार संदर्शक और कैदी के बीच बातचीत की एकांतता सुनिश्चित की जा सकती है,
- जब तक जरूरी न हो, महिला संदर्शक पुरूष वार्ड में प्रवेश नहीं कर सकते और किसी भी पुरूष संदर्शक को महिला वार्ड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है बशर्तेकि पुरुष वार्ड तक पहुँचने के लिए इसमें से गुजरना आवश्यक न हो।

जेल संदर्शन प्रणाली

अधीक्षकों द्वारा किए जाने वाले कार्य

- अधीक्षक सुनिश्चित करेगा कि उसकी अनुमति के बगैर संदर्शक पुस्तिका जेल से नहीं हटाई जाएगी।
- यदि अधीक्षक की यह राय हो कि कैदी ने संदर्शक से निराधार शिकायत की है और उसे दण्डित किया जाना आवश्यक है तो वह तथ्यों को दर्ज करेगा और लिखेगा कि वह उसे क्या दण्ड देना चाहता है और उसे संदर्शक को भेजेगा। यदि संदर्शक इससे सहमत न हो तो वह जेल अधीक्षक से यह मामला महानिरीक्षक (जेल) को उचित आदेशार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध करेगा। महा निरीक्षक(जेल) के आदेशों की एक प्रति संदर्शक को भेजी जाएगी जो चाहे तो इस संबंध में सरकार को लिख सकता है।
- संदर्शक द्वारा पंजिका में दर्ज की गई अभियुक्ति की एक प्रति अधीक्षक के उत्तर और की गई कार्रवाई की टिप्पणी सहित ज़िला दण्डाधिकारी के माध्यम से महा निरीक्षक को भेजी जाएगी। उन्हें यह पत्राचार सरकार की सूचना के लिए और आदेशार्थ आग्रेषित करना चाहिए। सरकार के आदेशों (यदि कोई हो) अथवा महा निरीक्षक के आदेशों की एक प्रति जेल अधीक्षक के माध्यम से संदर्शक को अग्रेषित की जाएगी।

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे और प्रस्तावित कारवाईयां

मध्य प्रदेश और राजस्थान जेल मैनुअलों में यथा उल्लिखित जिन कुछ मुद्दों पर संदर्शकों को ध्यान देना चाहिए वे नीचे दिए गए हैं। परन्तु पूरे देश की जेलों के हालात लगभग एक जैसे होने के कारण वे अन्य राज्यों पर भी लागू हैं।

भवन

क्या भवन सुरक्षित हैं?
क्या उनमें मरम्मत, पलस्तर आदि करवाने की आवश्यकता है?

- क्योंकि पी डब्ल्यु डी (लोक निर्माण विभाग) कभी-कभी जेल विभाग द्वारा भेजे गए अनुरोधों पर ध्यान नहीं देता, इसलिए संदर्शक उपयुक्त कार्रवाई कराने के लिए संबंधित प्राधिकारियों पर सरकारी दबाव डलवा सकते है।

जल निकास

क्या जल निकास प्रणाली ठीक है? यदि नहीं, तो क्या खराबियां हैं? क्या नालियां आवधिक रूप से साफ की जा रही हैं?

- कोशिश करें और रख-रखाव का काम देखने के जिम्मेदार पी.डब्ल्यु.डी अथवा अन्य अधिकारियों को इस विषय पर समयबद्ध तरीके से ध्यान देने के लिए प्रभावित करें।
- सफाई करने की आवधिकता लिखित रूप में नियत की जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए जेल में रखे गए रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए।

जल आपूर्ति

क्या जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है?
क्या जल संरक्षण पद्धति सुरक्षित है?

- अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारणों को ध्यान से देखें, जैसाकि जंग लगी और अवरूद्ध पाइपलाइनें, कूओं में निम्न जल स्तर, अपर्याप्त भण्डारण क्षमता, ठीक प्रकार से कार्य न कर रहे पम्प आदि और संबंधित एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने के सुझाव दें।
- पानी की कमी वाले मामलों में, जेल को और पानी उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम पर प्रभाव डालें।

जल कूप

क्या कूंए नियमित रूप से साफ किए जाते हैं?

- ऐसे सफाई-कार्य कराने के लिए पी.डब्ल्यु.डी या अन्य सम्बन्धित संस्था से अनुरोध करें। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो अधीक्षक से कहें कि वह यह जिम्मेदारी आवधिक रूप से किसी जेल अधिकारी को सौंप दे, जो यह कार्य कुछ कैदियों से करवा सकता है, जो इस आधार पर सज़ा में माफी अर्जित कर सकते हैं।

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे	संबंधित राज्य क़ानून	संबंधित केंद्रीय क़ानून	संबंधित अंतराष्ट्रीय क़ानून
भवन	भाग 6, धारा II, नियम 17, 19, 21, 22, 23, 33	धारा 4, 7, खण्ड II, कारागार अधिनियम 1894	–
जल निकास जल आपूर्ति जल कूप	भाग 6, धारा V, नियम 35, 45, 46, 47 और 51 भाग 9, धारा I, नियम 20	–	नियम 16, 18, 22, 35, 42, मण्डेला नियम

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे और प्रस्तावित कारवाईयां

भोजन

क्या खाद्य वस्तुएं ठीक प्रकार से भण्डारित की जा रही हैं?
क्या वे अच्छी क्वालिटी की हैं ?

- यदि भण्डारों में कृंतक (रोडेंट) तथा नाशक कीट हों तो प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से कीट नियंत्रण के लिए सुझाव दें।

सब्जियों का वज़न और गुणवत्ता

क्या सब्जियां निर्धारित वजन के अनुरूप हैं?
क्या वे साफ और अच्छी क्वालिटी की हैं?

- जाँच करें कि निर्धारित मानदण्डों के विपरीत क्या प्रथाएं अपनाई जा रही हैं।

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे	संबंधित राज्य क़ानून	संबंधित केंद्रीय क़ानून	संबंधित अंतराष्ट्रीय क़ानून
भोजन सब्जियों का वज़न और गुणवत्ता	भाग 9, धारा I, नियम 5, 11, 12, 13, 20(b, c, d), 41, 46	–	नियम 22 मण्डेला नियम

दी जाने वाली भोजन सामग्री

क्या भोजन सही मात्रा में दिया जाता है और ठीक प्रकार से पकाया जाता है?

- संदर्शक रसोई में जा सकते हैं और तैयार किए जा रहे भोजन का परीक्षण कर सकते हैं।
- जाँच करें कि क्या डाक्टरी खुराक पर कैदियों/गर्भवती महिला/बच्चों को निर्धारित खाद्य सामग्री दी जाती है।
- कई जेलों में खाना पकाने का प्रभार महिलाओं को सौपने का विचार प्रस्तुत किया जा सकता है।
- अन्य कैदी जो खाना पकाने में रुचि रखते हों उनके लिए भी पाक-कला कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है।

राशन

क्या सभी कैदियों के लिए पूरी मात्रा में राशन उपलब्ध है ?

- खाद्यान्नों की मात्रा की निर्धारित पैमाने की तुलना में अचानक दौरों के समय जाँच की जानी चाहिए।

तेल और मसाले

क्या सालन (करी) में तेल और मसाले किसी जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में डाले जाते हैं ?

- संदर्शक निर्धारित आहार मानकों के अनुसार खाद्यान्नों, तेल और मसालों का नियमित रूप से पर्यवेक्षण कर सकते हैं।

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे और प्रस्तावित कारवाईयां

वस्त्र

क्या कैदियों के पास निर्धारित मात्रा में कपड़े और बिस्तर हैं?
क्या ठण्ड के महीनों में निर्धारित अतिरिक्त कम्बल जारी किया जाता है?
क्या वे उपयोगी अवस्था में हैं?
क्या बिस्तर को हर रोज या जब कभी संभव हो धूप में फैलाया जाता है?

- गरीब विचाराधीन कैदियों और कैदियों के बच्चों के लिए संदर्शक, गैर सरकारी संस्थाओं और समाज के अन्य लोगों को वस्त्र दान करने के लिए राजी कर सकते हैं। यदि विभाग के पास अपेक्षित संख्या में कम्बल और बिस्तर प्रदाय करने के लिए धनराशी की कमी हो तो इन्हें दान में भी दिया जा सकता है।
- सिद्ध-दोष कैदियों को नियमानुसार उचित वस्त्र प्रदान करने के लिए, तथा उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संदर्शक जेल विभाग तथा सरकार को धनराशी प्रदान करने का अनुरोध करते हुए जोरदार शब्दों में लिख सकते हैं।

स्नान

क्या कैदियों को नियमित रूप से स्नान करने की सुविधा है और क्या वे उसका नियमित उपयोग करते हैं ?

- संदर्शक, साक्षरता कक्षाओं के दौरान स्वास्थ्य विज्ञान पर पाठ शुरू करने की वकालत कर सकते हैं।
- कैदियों को जेलरों, वार्डनों आदि के माध्यम से स्वास्थ्य सिद्धांतों पर जानकारी दिए जाने की मांग कर सकते हैं।
- वे सभी जेलों के डाक्टरों से रोगों के निवारक उपायों के रूप में, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीके बताने के लिए कह सकते हैं।
- स्नान-क्षेत्रों पर सफाई बनाए रखने पर जोर दे सकते हैं।
- पर्याप्त संख्या में स्नान प्लेट-फार्म बनाने तथा पर्याप्त टूटियों के लिए वकालत कर सकते हैं ताकि सभी कैदियों को स्नान करने का समान रूप से अवसर मिले।

उद्यान

क्या सब्जियों की पूरी आपूर्ति जेल उद्यान से प्राप्त की जाती है?
यदि नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता?

- संदर्शक जेलों में कृषि / उद्यान विभागों के दौरे करवा सकते हैं और उन्हें काश्तकारी आरंभ करने या उसमें सुधार करने के उपाय बताने के लिए कह सकते हैं। वे पुराने औजार और उपकरण दान भी कर सकते हैं।

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे	संबंधित राज्य क़ानून	संबंधित केंद्रीय क़ानून	संबंधित अंतराष्ट्रीय क़ानून
वस्त्र	भाग 9, धारा IV, नियम 84, 87,94 (a, b, c, d) भाग VI, धारा II, नियम 15	धारा, 33, खण्ड VI, कारागार अधिनियम 1894	नियम 19, 20, 21 मण्डेला नियम
स्नान	भाग 6, धारा V, नियम 36, 52	–	–

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे और प्रस्तावित कारवाईयां

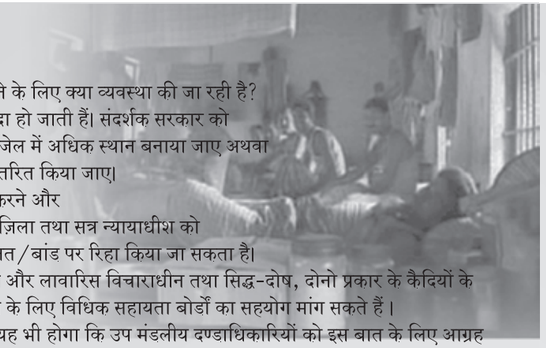

अति भीड़-भाड़

यदि अति भीड़-भाड़ है, तो कैदियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

- अति भीड़-भाड़ से जेलों में कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। संदर्शक सरकार को जोरदार शब्दों में लिख सकते हैं कि मौजूदा जेल में अधिक स्थान बनाया जाए अथवा कुछ कैदियों को पास वाली जेलों में स्थानांतरित किया जाए।
- विचाराधीन कैदियों की आवधिक समीक्षा करने और ऐसे कैदियों की सूची ज़िला दण्डाधिकारी/ज़िला तथा सत्र न्यायाधीश को भेजने के लिए जोर दे सकते हैं, जिन्हें जमानत/बांड पर रिहा किया जा सकता है।
- अपील की प्रतीक्षा कर रहे गरीब, निःसहाय और लावारिस विचाराधीन तथा सिद्ध-दोष, दोनो प्रकार के कैदियों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सहायता बोर्डों का सहयोग मांग सकते हैं।
- अति भीड़-भाड़ कम करने का एक तरीका यह भी होगा कि उप मंडलीय दण्डाधिकारियों को इस बात के लिए आग्रह किया जाए कि कम खतरनाक कैदियों को जेल भेजने की बजाय व्यक्तिगत बांड पर रिहा कर दिया जाए।
- सुनिश्चित करें कि पैरोल (कारावासकालीन अवकाश) पर रिहाई के लिए आवेदन पत्रों का निपटान जेल से भिजवाए जाने की तारीख से २ मास के भीतर कर दिया जाता है।
- लम्बी अवधि की सजा काट रहे पात्र कैदियों को माफी प्रदान करने के लिए विभाग तथा सरकार के साथ वकालत करें।
- मुक़दमों के शीघ्र निपटान के लिए जेल अदालतों का मुद्दा उठाएं।

आदतन अपराधी

क्या आदतन अपराधियों को रात के समय दूसरे कैदियों से अलग किया जाता है और क्या उन्हें दिन के समय भी यथा संभव उनसे अलग रखा जाता है?

- अधिकांश जेलों में अति भीड़-भाड़ की समस्या है और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं, जिससे इस नियम को लागू करने में रुकावट पेश आती है। इसलिए संदर्शक सरकार के साथ मौजूदा जेलों का विस्तार करने, नई जेलें बनाने और इन सबसे जरूरी पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने तथा उचित आधारभूत सुविधाऐं स्थापित करने के लिए वकालत कर सकते हैं।

विचाराधीन कैदी

क्या कोई ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जिन्हें अनुचित रूप से लम्बी अवधि तक हवालात में रखा गया है?

- पुलिस अनुरक्षकों की कमी के कारण कैदियों को समय पर न्यायालयों में पेश नहीं किया जाता। इसलिए संदर्शक, जेल अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त संख्या में पुलिस अनुरक्षक प्रदान करने के लिए पैरवी कर सकते हैं।

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे	संबंधित राज्य क़ानून	संबंधित केंद्रीय क़ानून	संबंधित अंतराष्ट्रीय क़ानून
अति भीड़भाड़	भाग 6, धारा II, नियम 11 भाग 6, धारा II, नियम 12	धारा 4, 7, खण्ड II, कारागार अधिनियम 1894	–
आदतन अपराधी	भाग 15, धारा I, नियम 1, 9, 13, 33	धारा 27, खण्ड V, कारागार अधिनियम 1894	–
विचाराधीन कैदी	भाग 25, धारा IX, नियम 223, 225, 209, 206, 215	धारा 176, 309, 436A, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973	–

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे और प्रस्तावित कारवाईयां

अपीलें

क्या न्यायालयों को अपीलें भेजने या अपीलों पर न्यायालय के आदेश प्राप्त होने में कोई अनुचित विलम्ब हुआ है?

- अपील करने के लिए आदेशों की प्रतियां कैदियों को समय पर उपलब्ध नहीं की जाती। इसलिए संदर्शक, महा पंजीयक से पैरवी कर सकते हैं कि निर्णय और आदेश दिए जाने के समय ही कैदी को उसकी प्रति सौंपी जाए।
- संदर्शक राज्य स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकारियों से पता लगा सकते हैं और कैदियों को समय पर और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं।

बंदीश्रम

क्या कठोर परिश्रम करने लायक सभी कैदियों से पूरा काम लिया जा रहा है?
किए गए कार्य की जांच शाम को कौन करता है?
क्या प्रत्येक सिद्ध-दोष कैदी का किया गया काम
कार्य-टिकटों में ठीक से दर्ज किया जाता है?

- सुनिश्चित करें कि क्या जेल उद्योगों में मौजूदा कार्य कराने के लिए और सभी कैदियों को विभिन्न कार्यों पर लगाए रखने के लिए पर्याप्त कच्चा माल है।
- जेलों में पारंपरिक उद्योग पुराने और अलाभकर बनते जाने के साथ कैदियों के पास करने को बहुत कम काम रह गया है। कैदियों के लिए ऐसे कौशलों में प्रशिक्षण प्राप्त करना लाभदायक होगा जो उनके पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण हों, जैसाकि पराचिकित्सीय ज्ञान और नर्सिंग तथा पाक-कला जैसे विशिष्ट कौशल। संदर्शक जेलों में हस्तकला व गृह उद्योगों को भी प्रोत्साहन दे सकते हैं और ऐसे परिवर्तन के लिए सरकार को लिख सकते हैं।
- वे जेल परिसर में पारंपरिक तथा नक़द फसलों की काश्तकारी का भी सुझाव दे सकते हैं।

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे	संबंधित राज्य क़ानून	संबंधित केंद्रीय क़ानून	संबंधित अंतराष्ट्रीय क़ानून
अपील	भाग 22, धारा I, नियम 1, 2, 23, 25, 28	–	–
बंदीश्रम	भाग 12, नियम 1(2), 3, 4, 5, 7, 9, 21 व 31	–	नियम 97(1), मण्डेला नियम

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे और प्रस्तावित कारवाईयां

सज़ा में माफी या परिहार

क्या वास्तव में किए गए कार्यों के संदर्भ में परिश्रम के लिए साधारण माफी दी जाती है?
क्या कोई ऐसे सिद्ध-दोष कैदी हैं जिन्हें काम न कर पाने के कारण माफी नही दी जा रही है?
यदि हाँ, तो क्या दण्ड के माध्यम से काम कराने के प्रयास किए गए हैं?

- एन.डी.पी जैसे कानूनों के तहत सिद्ध-दोष कैदियों को माफी नहीं दी जाती। विधिक प्रोत्साहन न होने के कारण, इनमें से कई कैदी काम करने और यहाँ तक कि अनुसासन बनाए रखने से भी इनकार कर देते हैं। संदर्शक वैधानिक स्तरों पर आवश्यक संशोधनो के लिए तर्क दे सकते हैं।
- संदर्शक अपनी जेलों में यह देखने के लिए अलग-अलग सिद्ध-दोष कैदियों से जाँच कर सकते है कि क्या वास्तव में किए गए काम के लिए माफी दी जा रही है और यह देख सकते हैं कि क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार है।
- अपना काम करने में रुचि न रखने वाले कैदियों को प्रेरित करने के लिए संदर्शक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें कोई काम सौंपने से पहले उनके व्यक्तिगत कौशलों पर विचार किया जाए।
- अन्य सहूलियतें भी भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसाकि मुलाकात के दौरान अधिक समय दिया जाना, आदि।

दण्ड

क्या जेल में दण्ड का अनुपात अनुचित रूप से अधिक है?

- कैदियों को दी गई सजाओं की नियमित रूप से जाँच करें ताकि वे मानव अधिकारों के मानदण्डों के अनुरूप हों और इनका उल्लेख दण्ड रजिस्टर में भी करें।
- संदर्शक जेल कर्मचारियों को कैदियों के साथ सामूहिक बैठकें करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वे अपनी व्यथा प्रकट कर सकें।
- सभी महत्वपूर्ण जगहों पर शिकायत बाक्स भी रखे जा सकते हैं। इससे अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी और जेल के भीतर व्यवहार पर नियंत्रण भी रहेगा।

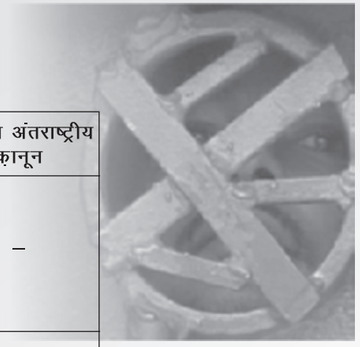

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे	संबंधित राज्य क़ानून	संबंधित केंद्रीय क़ानून	संबंधित अंतराष्ट्रीय क़ानून
सज़ा में माफ़ी या परिहार	भाग 3, नियम 5(a,b), 12, 16 (i-iii) व 17	अनुछेद 72 और 161, भारत का संविधान धारा 432, 433, 433A, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973	–
दण्ड	भाग 2, नियम 1, 5, 2 (पॉइंट 2) भाग 8, धारा VII, नियम 75, 76	खण्ड XII, कारागार अधिनियम 1894	–

अनुशासन

क्या निषिद्ध वस्तुओं के लिए सिद्ध-दोष बंदियों की नियमित रूप से तलाशी ली जाती है?
क्या सिद्ध-दोष बंदियों को आवारागर्दी करने से रोका जाता है?
क्या सिद्ध- दोष बंदियों का उचित क्रम में मार्च कराया जाता है?

- पर्याप्त संख्या में जेल गार्डों तथा जेल कर्मचारियों की शीघ्र भर्ती करने की वकालत कर सकते हैं।
- जो गार्ड निषिद्ध वस्तुओं की तलाशी लेते हैं उन्हें नियमित रूप से बदलते रहने के लिए तर्क दे सकते हैं।
- एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में नशे की लत डालने वाली वस्तुओं का प्रयोग कम करने के लिए और नशे की लत छुड़ाने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम चला सकते हैं। इसके लिए वे इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संस्थाओं की मदद ले सकते हैं।
- चिंतन, योग और स्व-अनुशासन पर कक्षाएं तथा व्यावहारिक सत्र आयोजित करने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को आमंत्रित कर सकते हैं।

मनोरोगी अपराधी बन्दी

क्या जेल में कोई अपराधी मनोरोगी हैं?

- वर्तमान विधियों के तहत किसी भी गैर-अपराधी मनोरोगी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता। यदि संदर्शक इस नियम का कोई उल्लंघन देखते हैं, तो उनके लिए यह जरूरी है कि वे इन कैदियों को जेलों से मानसिक अस्पतालों में भिजवाने के लिए प्रशासन पर दबाव डालें।
- प्रत्येक सेंट्रल तथा डिस्ट्रिक्ट जेल में एक अनुभवी मनोविज्ञानी नियुक्त करने की वकालत करें।

महिला बन्दी

क्या महिला बंदियों को पुरूष बंदियों से पूरी तरह बापर्दा रखा जाता है?

- लगभग सभी ज़िला जेलों और उपकारगृहों में महिला बंदियो को उनके रिहाइशी वार्ड तक पहुँचने के लिए ऐसी जगह से गुज़रना पड़ता है जहाँ पुरूष बन्दी उन्हें देख सकते हैं। संदर्शक महिला बंदियों के लिये पृथक प्रवेश द्वार बनाने की वकालत कर सकते हैं ताकि उस दोषपूर्ण व्यवस्था को रोका जा सके।
- संदर्शक को महिला बन्दियों की दशा का विशेष अध्ययन करना चाहिये और उनकी समस्याएँ राज्य महिला आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।

बाल-अपराधी

क्या १८ वर्ष से कम आयु के बाल अपराधियों को दिन और रात के समय वयस्क कैदियों से अलग रखा जाता है?

- बाल-अपराध न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, २००२ के तहत किसी भी बाल अपराधी को जेल में नहीं रखा जाएगा। संदर्शक देख सकते हैं कि क्या इस नियम का अनुपालन किया जा रहा है।

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे	संबंधित राज्य क़ानून	संबंधित केंद्रीय क़ानून	संबंधित अंतराष्ट्रीय क़ानून
अनुषासन	भाग 2, नियम 7, 8	–	–
मनोरोगी अपराधी बंदी	भाग 21, भाग 8, धारा I, नियम 18	धारा 328, 328 व 330, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973	नियम 39, मण्डेला नियम
महिला बंदी	भाग 25, धारा X, नियम 242, 247 भाग 9, धारा I, नियम 18	धारा 12(c), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987	नियम 11(a), 28, 81, मण्डेला नियम पूर्ण बैंकाक नियम

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे और प्रस्तावित कारवाईयां

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे और प्रस्तावित कारवाईयां

किशोर अपराधी

क्या १८ से २० या २२ वर्ष के किशोर कैदियों को रात के समय बाल अपराधियो तथा वयस्क अपराधियों से अलग रखा जाता है?

- संदर्शक देख सकते हैं कि क्या इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है।
- वे उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए सुझाव भी दे सकते हैं।

पृथकवास के लिये कक्ष

क्या प्रत्येक कक्ष का रात को उपयोग किया जाता है?

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्सी भी बन्दी को पृथकवास कक्ष में अलग बन्द करने के पूर्व जेल नियमों और शास्कीय अनुदेशों की पालना की गई है।

ऊपर दिए गए मुद्दों के अतिरिक्त, संदर्शक कानून के तहत यथापेक्षित जेलों की अन्य तकलीफदेह समस्याओं को भी ले सकते हैं, जैसेकी कैदियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम, एकांतवास में कैदियों की स्थिति, महिला कैदियों के साथ बन्द बच्चों की परवरिश, आदि।

जेल का दौरा पूरा करने के बाद, प्रत्येक संदर्शक को संदर्शक पुस्तक में अपने दौरे की तारीख और समय दर्ज करना चाहिए। संदर्शकों की टिप्पणियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये खुले समाज के लोगों की अभियुक्तियाँ होती हैं। इसलिए संदर्शकों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे इन्हें पठनीय, सुस्पष्ट तथा साफ तरीके से लिखें। जैसाकि कुछ टिप्पणियों में देखा गया है, ङ्गरसोई की हालत तथा भोजन की गुणवत्ता ठीक हैङ्ग जैसा व्यापक कथन किसी बात की विशिष्ट सूचना नहीं देता है। कुछ टिप्पणियाँ समस्याओं के कथन मात्र होती हैं, जो निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं हैं। प्रभावी होने के लिए,यह ज़रूरी है कि टिप्पणियँ देखी गई परिस्थितियों और उनके समाधान के लिये की गई सिफारिशों का गहाराई से विश्लेषण करें। संदर्शकों को संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं के साथ सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए अपेक्षित उपाय किए जाऐं। ऐसी अनुवर्ती कारवाईयां करना नितांत आवश्यक है क्योंकि केवल तभी वे सलाखों के पीछे बंद लोगों के जीवन में वास्तविक अंतर ला पाएंगे।

ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे	संबंधित राज्य क़ानून	संबंधित केंद्रीय क़ानून	संबंधित अंतराष्ट्रीय क़ानून
पृथकवास के लिये कक्ष	भाग 6, धारा II, नियम 6, 7, 8, 10, 14 16	धारा 4, 7, खण्ड II, कारागार अधिनियम, 1894	नियम 12, मण्डेला नियम

आभार

धारणा और संग्रहण
सुश्री जूनी वधावन

संपादक
श्री जी.पी. जोशी

हम सुश्री ससिलिया डेविज़,पूर्व अनुसन्धान सहाय,सी.एच. आर. आई,डॉ लालजी मिश्रा,अधीक्षक केन्द्रीय जेल,जबलपुर एवं श्री आर. के. सक्सेना,पूर्व जेल महानिरीक्षक,राजस्थान को धन्यवाद देते हैं उनके योगदान के लिए।

हम श्री एल. एन. गोयल ,निदेशक, ज़ी निउज़,का उनके द्वारा ७ अप्रेल २००२,को सम्प्रेक्षित कार्यक्रम " द इनसाइड स्टोरी " से कुछ चित्रों का प्रयोग करने के लिये छन्यवाद करते हैं।

हम आभारी हैं मुख्य पृष्ठ चित्र के लिए
http://www.hrw.org/women/custody.html
पृष्ठ ७ पर चित्र के लिए
http://www.source.ie/is18kriallR1.html

परिकल्पना एवं रूपरेखा
सेंथिल कुमार परमशिवम

© कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस इनिशिएटिव

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई)

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संस्था है। जो राष्ट्रमंडल देशो में मानवाधिकार के व्यवहारिक प्रचलन व् अनुभूति के लिए कार्यरत है। वर्ष 1987 में राष्ट्रमंडल के कई अनुभवी सहयोगियों ने मिलकर सीएचआरआई की नींव रखी। उनकी यह मान्यता है कि राष्ट्रमंडल ने अपने सदस्य देशों को तो साझा मूल्य व् कानूनी सिध्दांत प्रदान किये हैं जिससे कि मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्राप्त हो, लेकिन स्वयं राष्ट्रमंडल में मानवाधिकार के मुद्दों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।

सीएचआरआई का उद्देश्य राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'कामनवेल्थ हरारे प्रिंसिपल्स', 'युनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ़ हयूमन राइट्स' व् मानवाधिकार के अन्य अंतर्राष्ट्रीय व् राष्ट्रीय संसाधनों को प्रयोग करना, उनको बढ़ावा देना है व् उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है।

सीएचआरआई अपनी रिपोर्टों व् आवधिक शोध रिपोर्टों के माध्यम से राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकार की उन्नति व् अवनति पर ध्यान आकर्शित करती रहती है। मानवाधिकार हनन को रोकने व् इसके समाधान के दृष्टिकोण व् उपायों के साथ सीएचआरआई राष्ट्रमंडल सचिवालय, सदस्य सरकारों व् सार्वजानिक संस्थाओं का ध्यान इस ओर दिलाती रहती है। अपने सार्वजानिक शैक्षिक कार्यक्रमों, निति सम्बन्धित वार्ता, तुलनात्मक अनुसन्धान, एड्वोकासी व् नेटवर्किंग के जरिये सीएचआरआई निरंतर अपने प्राथमिक मुद्दों के प्रचलन के लिए उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करती है।

सीएचआरआई नई दिल्ली, भारत में स्थापित है, तथा इसके कार्यालय लन्दन, यू.के. व् एक्क्रा, घाना में स्थित हैं।

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

55ए, तीसरा तल, सिद्धार्थ चैम्बर्स – 1
कालू सराय, नई दिल्ली – 110016
दूरभाषः +91 11 43180200 **फैक्सः** +91 11 26864688
ईमेलः info@humanrightsinitiative.org
वेबसाइटः www.humanrightsinitiative.org